REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2018

डॉ. भीमराव अंबेडकर के शैक्षिक विचार एक अवलोकन

Pinki
Research Scholar, School of Humanities, Singhania University,
Pacheri Bari, Jhunjhunu, Rajasthan.

Dr. Shiv Kant Sharma
Assistant Professor, School of Humanities, Singhania University,
Pacheri Bari, Jhunjhunu, Rajasthan.

प्रस्तावना :

डॉ. भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा, संविधान का निर्माता तथा आधुनिक युग के आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। अंबेडकर के जीवन के ये सभी सार्थक पक्ष थे। उन्होंने अपने पौरुष से अपनी उन्नति तो की ही, साथ ही अपनी जाति के लोगों को भी सदियों की गुलामी से मुक्ति दिलाई। उन्होंने समाज के प्रत्येक पहलू का अवलोकन किया। धर्म, दर्शन, शिक्षा, अर्थनीति, समाज–तंत्र और राजनीति के संदर्भ में उनके अपने विचार हैं। जो वर्तमान समय में भी सार्थक और प्रासंगिक है।

डॉ. अंबेडकर अपने समय में जितने प्रभावशाली थे, उससे कहीं अधिक प्रभावशाली वे वर्तमान समय में हैं। भारतीय राजनीति और समाज की पुर्नरचना में उनके विचारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण या जाति से सम्बन्ध रखता हो यदि उसे ऊपर उठाने का अवसर मिले तो वह संसार में महान् व्यक्ति बन सकता है और अपने सत्कर्म से समाज और देश की सेवा कर सकता है। डॉ. अंबेडकर ने अपने जीवन में अनके कठिनाइयों का सामना किया। अनेक यातनाएं और अपमान झेलने पड़े, लेकिन जैसे ही उन्हें अवसर मिला, उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि समाज और देश का गौरव बढ़ाया। अंबेडकर ने यह सिद्ध कर दिया कि जाति से कोई ऊँचा या नीचा नहीं होता बल्कि कार्य से बड़ा और छोटा होता है।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य डॉ. अंबेडकर के जीवन के संघर्ष और उनकी शिक्षा प्रणाली का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। उनके विचारों का विश्लेषण देश के बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है।

मूल शब्द– दलित, मसीहा, संविधान, अवलोकन, दर्शन, शिक्षा, राजनीति, अवसर, कठिनाइयाँ, संदर्भ, प्रमाण, समाज ।

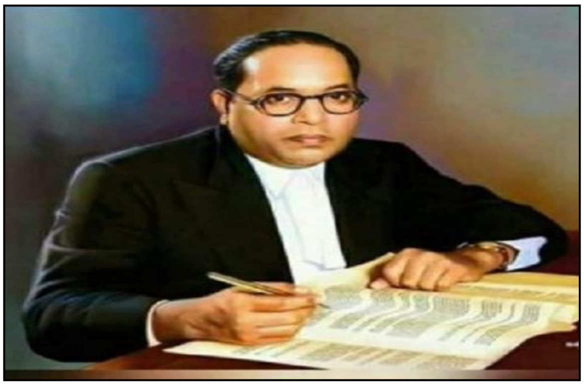

डॉ. भीमराव अंबेडकर के शैक्षिक विचार : एक अवलोकन

''इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे संविधान की रचना में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सबसे अधिक सतर्कता बरती और कष्ट उठाए, उन्होंने हिन्दू विधि सुधार में भी बेहद खर्च ली और इसके लिए भगीरथ श्रम किया, लेकिन मेरा विचार है कि उन्हें सबसे अधिक एक प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा–हिन्दू समाज की दमनकारी प्रवृतियों के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक के रूप में''।

पं. जवाहर लाल नेहरू ।
डॉ. भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के कर्ण थे। अंबेडकर का जन्म उनके वश में नहीं था। परन्तु पौरुष उनके वश में था।

देवायतं कुले जन्म
मदायतं तु पौरुषम तु

उन्होंने अपनी प्रतिभा, श्रम, पौरुष तथा वैयक्ति गुणों के कारण अद्भुत उन्नति की और इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को अछूत मानी जाने वाली महार जाति में हुआ था। वे अपने भाई–बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई कबीरपंथी थे। डॉ. अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। अंबेडकर ने प्रारंभिक शिक्षा सतारा में तथा कॉलेज शिक्षा बम्बई में प्राप्त की। स्नातकोत्तर तथा पी.एच.डी. की उपाधियाँ कोलम्बिया विश्वविद्यालय, अमरीका तथा लंदन विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अंबेडकर ने अपनी जीविका के लिए वकालत शुरू की निम्न जाति का होने के कारण उन्हें अनेक बार अपमान सहने पड़े। इसलिए उन्होंने इस बात पर निरन्तर जोर दिया कि भारत में स्वराज स्थापित होने से पहले यह जरूरी है कि दलितों की स्थिति में सुधार हो तथा उन्हें नागरिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त हों। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था ने भारतीय समाज के एक बहुत बड़े समूह को धार्मिकता का जामा पहनाकर अज्ञानी बनाया। यह परम्परा मुस्लिम बादशाही से गुजरती हुई अंग्रेजों के शासन काल तक चलती रही और अंग्रेज सरकार भी इस व्यवस्था से टकराने की हिम्मत नहीं कर पायी। 1856 में बम्बई सरकार ने धारवाड़ के एक महार में दाखिला सम्बंधी याचिका को यह कहकर निरस्त कर दिया।

''इस बात में कोई शक नहीं कि महार छात्र के पक्ष में न्याय होना चाहिए परन्तु सरकार का यह भी दायित्व है कि वह इस बात को ध्यान में रखे कि यदि युगों–युगों से चले आ रहे पूर्वाग्रहों को मिटाने के लिए किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के हित में तुरंत हस्तक्षेप करेगी तो शायद उससे शिक्षा के ध्येय को भारी क्षति होगी'' ।

सम्भवतः सरकार यही कहना चाहती है कि यदि अछूतों को पढ़ने का अधिकार दिया तो जातिवादी व्यवस्था के पक्षधर बगावत कर देंगे। अतः व्यवस्था की यथा स्थिति ऐसी ही रखी जाये ।

1856 के पूर्व 1850–51 में बम्बई सरकार के शिक्षा बोर्ड की रिपोर्ट अछूतों की शिक्षा को पहले ही नकार चुकी थी दोहरी शिक्षा नीति की बात करेगा कौन? सरकार तो सामाजिक व्यवस्था के भय से अछूतों की शिक्षा को ही प्रारम्भ नहीं करना चाहती थी।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का मत था, कि ''लोगों का मनोबल और सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए उच्च वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षित करना चाहिए। इन लोगों के पास समय होता है और भारतवासियों के ऊपर उनका सहज प्रभाव होता है। उच्च वर्ग का शिक्षा स्तर ऊँचा उठाकर सरकार अधिक लाभदायक और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। इनको शिक्षित कर महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी तैयार किए जा सकते हैं''।

हन्टर कमीशन

1850 और 1856 में अंग्रेज सरकार की एक ही अवधारणा है कि अछूतों को शिक्षित करने का कोई औचित्य नहीं। 1856 के उपरांत 26 साल बाद 1882 में शिक्षा सुधार हेतु हण्टर कमीशन ने 1856 की ही भांति अछूतों के प्रति सहानुभूति तो प्रदर्शित की, उसने कहा, ''सरकार इस सिद्धान्त का पालन करें कि किसी भी सरकारी कालेज या स्कूल में किसी को दाखिले के लिए जाति के आधार पर इन्कार न किया जाये। इसके साथ की कमीशन ने बंदिश भी लगा दी कि "इस सिद्धान्त का सावधानी से पालन किया जाये। सावधानी से पालन करने का आशय भी पूर्व के आदेश के अनुसार स्पष्ट था कि अछूत छात्रों के प्रवेश के समय सामाजिक टकराव से बचा जाये।''

1919 में साऊथबरो कमेटी के समक्ष असमान शिक्षा नीति का उद्‌घाटन

डॉ. भीमराव अंबेडकर असमान शिक्षा नीति से बहुत दुखी थे। वह समझते थे कि अस्पृश्यों की शैक्षिक स्थिति सुधारे बिना उनको मानवीय जीवन का स्तर प्राप्त कराना कठिन ही नहीं असंभव है। डॉ. भीमराव अंबेडकर वैधानिक लड़ाई ही लड़ सकते थे। जिसे उन्होंने जीवन भर विभिन्न अवसरों पर निर्भिकता से लड़ा। उन्होंने साउथबरो कमेटी के समक्ष अस्पृश्यों की शिक्षा भेद की निन्दनीय नीति का मुखर विरोध किया तथा उसे समाप्त करने का अनुरोध भी किया। उन्होंने बम्बई नगर पालिका को बेनकाब करते हुए कहा, कि ष्वहाँ पर दो तरह हैं एक अस्पृश्यों के बच्चों हेतु दूसरे स्पृश्यों के बच्चों के लिए।'' डॉ. अंबेडकर ने जहाँ अछूतों और सछूतों के पृथक–पृथक स्कूलों के भेद को स्पष्ट किया वहीं उन्होंने कहा कि निगमों के स्कूलों के अनुसार उनके अध्यापकों को भी स्पृश्यों और अस्पृश्यों में विभक्त कर दिया गया है। एक अत्यंत कटु मजाक किया था कि अछूतों के स्कूलों में ऊँचे वेतनमान का स्वर्ण अध्यापक तो नियुक्त किया जा सकता है, परंतु अछूत अध्यापक सछूतों के स्कूलों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।''

डॉ. अंबेडकर ने खूले शब्दों में कहा कि इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था से कभी अस्पृश्यों की भलाई की कल्पना नहीं की जा सकती है। अस्पृश्यों के उत्थान हेतु उनको प्रथक से अधिकार प्रदत्त कराने होंगे।

1928 में साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत तथ्य

डॉ. अंबेडकर द्वारा 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किए गये तथ्य और सुझाव उन्होंने हन्टर कमीशन के लचर सुझाव को प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस बात का परिणाम यह निकला कि किसी भी अछूत छात्र का स्कूलों में प्रवेश ही नहीं किया गया।

डॉ. अंबेडकर ने बम्बई प्रेसीडेंसी की भाँति 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष बंगाल प्रेसीडेंसी की शिक्षा की हकीकत को रखते हुए कहा, ''बंगाल के अधिकारियों ने शिक्षा सम्बन्धी दायित्व जिला समितियों पर छोड़ दिया और उन्हें अधिकृत किया कि वे हर मामले में स्थानीय लोगों की भावनाओं को देखते हुए छोटी जातियों के छात्रों को प्रवेश दें या न दें''।

इन प्रकरणों से स्पष्ट है कि शिक्षा में असमानता की नीति सम्पूर्ण भारत में प्रचलित थी। हण्टर कमीशन की तरह सद्भावना पूर्ण बात 6 जनवरी 1912 को ब्रिटेन के सम्राट ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में की थी। डॉ. अंबेडकर ने साइमन कमीश्न को सम्राट की भावना से अवगत कराया था। सम्राट की कामना थी कि ''मेरी यह कामना है कि इस पूरे देश में स्कूलों और कालेजों का जाल बिछ जाए। मेरी यह भी कामना है कि शिक्षा के ज्ञान का प्रकाश भारत की जनता के घरों में पहुँचे।''

इन अनेक वक्तव्यों और प्रयासों के उपरांत भी अंग्रेज सरकार शिक्षा की असमानता की खायी को अभी तक नहीं पाट सकी थी। अछूत छात्रों के स्कूलों में प्रवेश पर धर्मान्धों का प्रबल विरोध अभी भी जारी था। डॉ. अंबेडकर ने साइमन कमीशन के समक्ष शिक्षा की असमानता को सुधारने हेतु कुछ सुझाव रखे, जिनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है–

"जब तक स्कूल बोर्डों को प्राथमिक शिक्षा का स्तांतरण बंद नहीं किया जाता तब तक आशंका है कि दलित वर्गों की शिक्षा के हित को भारी आघात लगता रहेगा।"

जब तक प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता को बाध्यकारी नहीं बनाया जायेगा और जब तक प्राथमिक स्कूलों में दाखिले के नियम का कठोरता से पालन नहीं किया जाता तब तक पिछड़ी जातियों की शैक्षिक प्रगति के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होगी।

हण्टर आयोग द्वारा जिस प्रकार मुस्लिम शिक्षा की उन्नति हेतु सिफारिशें की गयी हैं, उसी प्रकार की सिफारशें अस्पृश्यों की शिक्षा हेतु की जायें। डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा की इस असमान नीति के विरुद्ध जीवन भर प्रयास किया। उनकी सोच थी कि समान शिक्षा नीति से ही अस्पृश्यों का उत्थान किया जा सकता है।

शिक्षा की अनिवार्यता:

डॉ. अंबेडकर समाज से अज्ञानता के अंधकार को तिरोहित करने के लिए सबसे कारगर उपाय शिक्षा को मानते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा वह प्रकाशपुंज है, जो समाज से अज्ञानता रूपी घनघोर तिमिर को थोड़े ही समय में समाप्त करने की क्षमता रखता है।

"शिक्षालय एक पवित्र संस्था है। पाठशाला में मन सुसंस्कृत होता है। पाठशाला का तात्पर्य है, नागरिक तैयार करने वाला पवित्र क्षेत्र यह एक राष्ट्रीयता, मानवता तथा अज्ञानरूपी अंधकार दूर करने का उदात्त कार्य है। स्कूल में समबुद्धि वाले, उदात्त, निष्पक्ष, और विशाल हृदय वाले अध्यापक होने चाहिए।"

डॉ. अंबेडकर शिक्षा की अपरिहार्यता पर बल देते हुए उसके द्वार सभी को खुले रखने की वकालत जीवन भर करते रहे। उनके अनुसार, अशिक्षा और अज्ञानता दुःख की जड़ है तथा जो लोग अशिक्षित हैं या होते हैं वे के पशु समान समझे जाते हैं। अतः उन्होंने सम्पूर्ण समाज को शिक्षित होने की अपरिहार्यता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, "शिक्षा एक ऐसी चीज है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति की पहुँच के अन्तर्गत लाना चाहिए।

डॉ. अंबेडकर ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था उसकी वर्ण जाति की जन्मगत अवधारणा और उसमें हेयत्व भाव के समावेश को मानवता के ऊपर सबसे घातक आघात माना। डॉ. अंबेडकर ने इस व्यवस्था का इससे भी शर्मनाक कार्य असंख्य मनुष्यों को धार्मिक कानून बनाकर शिक्षा विहीन करना माना हैं।

शिक्षा के द्वार बंद होने का दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत में करोड़ों लोग अछूत बन गये। अशिक्षा के ग्रहण ने असख्य भारतवासियों को अंधकार की गुफा में धकेल दिया। यह कहना असत्य न होगा कि आज अनेक प्रयासों के उपरांत असंख्य भारतवासी ज्ञान चक्षुओं के अभाव में अंधे जैसे बनकर जीवनयापन कर रहे हैं।

डॉ. अंबेडकर ने इस संवेदनशील मानवीयता परक गंभीर स्थिति से भारत को मुकाबला करने हेतु सुझाव दिया कि शिक्षा को अपिरहार्य बनाया जाये। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा पर बोलते हुए डॉ. अंबेडकर ने कहा, "प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यह देखना है कि प्रत्येक बच्चा किसी प्राइमरी स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाए तो वह उसे उसी अवस्था में छोड़े जब वह शिक्षित हो जाये और जीवन भर शिक्षित बनता चला जाये ।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा–

डॉ. अंबेडकर चाहते थे कि सभी निर्धन तथा दलित समुदायों को भेदभाव के बिना शिक्षा की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाये ताकि वे राष्ट्रीय जीवन में प्रगति कर सकें। डॉ. अंबेडकर के शब्दों में, "प्रथम उन समुदायों को, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, आधुनिक शिक्षा का प्रत्येक स्तर उन्हें सुलभ कराया जाये ताकि वे अपने अधिकारों और नागरिकता के उत्तरदायित्वों की अनुभूति कर सकें, और द्वितीय इन समुदायों के लिए प्रत्येक सुविधा देने की दृष्टि से यह निरपेक्षतः अनिवार्य होना चाहिए। मेरा यह अनुरोध इसलिए है कि मैं महसूस करता हूँ कि हम लोग एक ऐसी अवस्था में पहुंच रहे हैं, जहाँ समाज के निम्न स्तर से मिडिल स्कूल, हाईस्कूल, और कालेज तक जाने वाले हैं और इस कारण इस विभाग की नीति निम्न वर्गों को उच्च शिक्षा देने की सुविधा जहाँ तक संभव हो सस्ती से होनी चाहिए।

डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा को अनिवार्य बनाकर उसके प्रति अस्पृश्यों को आकर्षित तथा उनको प्रोत्साहित करने हेतु अमेरिका में अहूत एक सम्मेलन में दिसम्बर 1942 में अपने विचार रखते हुए इस आश्य की बात कही थी। उन्होंने प्रांतीय सरकारों को सुझाव देते हुए कहा था कि प्रत्येक प्रांतीय सरकार द्वारा सहमति के आधार पर अनुसूचित जातियों में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु वार्षिक धनराशि निश्चित की जाए और यह राशि प्रांतीय राजस्व से प्राथमिकता के आधार पर निकाली जाये।

डॉ. अंबेडकर की शिक्षा प्रणाली–

डॉ. अंबेडकर के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्यों को निडर बनाती है, एकता सिखाती है, उनके अधिकारों को समझने के योग्य बनाती है और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष व लड़ना सिखाती है। डॉ. अंबेडकर के अनुसार वह शिक्षा ही नहीं जो योग्य नहीं बनाती हो न ही समानता व नैतिकता सिखाती हो, बल्कि सच्ची शिक्षा वह है जो मानवता की इच्छाओं की सुरक्षा करती हो, और जो समाज में रोटी, ज्ञान व समानता देती है।

डॉ. अंबेडकर स्वीकार करते है कि शिक्षा देश के प्रति प्यार, बंधुत्व व एकता की भावना को उत्पन्न करती है। सभ्यता व संस्कृति का भवन शिक्षा स्तंभों पर टिका होता हैं। शिक्षा मनुष्य को पुरुषार्थ देती है। डॉ. अंबेडकर शिक्षा में मानव मूल्यों के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि मनुष्य को ऐसी शिक्षा दी जाए, जो उसमें सामाजिक व नैतिक गुण उत्पन्न करें।

डॉ. अंबेडकर का मानना है कि शिक्षा अच्छी तभी है अगर यह पूरी मानवता की इच्छाओं उन्नत व सुरक्षित रखें। सच्ची शिक्षा समाज में समानता उत्पन्न करती है। उनका पूर्ण विश्वास था कि केवल शिक्षा ही

एकता, बंधुता तथा देशभक्ति जैसी भावना को पालती है तथा पोषित करती है। शिक्षा ही अकेली मनुष्य का मानवीकरण करती है। डॉ. अंबेडकर का मानना था कि शैक्षिक क्षेत्र में असमान अवसर ही समाज में गरीबी व प्रतिद्वंद्व की मूल जड़ है। डॉ. अंबेडकर शिक्षा से ही राष्ट्र की एकता व अखण्डता को मजबूत करना चाहते थे। उनका विचार था कि 'शिक्षा एक ऐसी अनिवार्य वस्तु है जो अनिवार्यता के साथ ही सबको आसानी से मिलनी चाहिए पर इतनी सस्ती होनी चाहिए कि समाज का गरीब वर्ग भी इसे प्राप्त कर सके।

डॉ. अंबेडकर ने बताया कि शिक्षा वही है जो निम्न प्रदान करें– समाज में समता

जीने के लिए रोटी।
ज्ञान का विकास।

डॉ. अंबेडकर व शिक्षा के उद्देश्य:

डॉ. अंबेडकर के दर्शन में आत्म सम्मान और मानव गौरव का स्थान सर्वोपरि एवं अति महत्त्वपूर्ण है। वे शिक्षा के माध्यम से न्याय, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता तथा निडरता के गुणों को विकसित करना चाहते थे। वे शिक्षा की व्यवसायिक, तकनीक उच्च स्तर सहित रोजगार प्रदान करने वाली बनाने के पक्षधर थे। इस प्रकार की शिक्षा समाज में स्थिरता लाती है। डॉ. अंबेडकर उस समय की उद्देश्यहीन शिक्षा से उदास थे। वे चाहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य, धर्म में अंधविश्वास, पाखण्ड, भय, स्वार्थ, और बुरी भावनाएं उत्पन्न करना नहीं होना चाहिए। डॉ. अंबेडकर शिक्षा में मानव मूल्यों के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि शिक्षा को सामाजिक तथा नैतिक गुण उत्पन्न करने चाहिए। उनका स्पष्ट विचार था कि जब तक शिक्षा को मानव गुणों एवं मूल्यों पर आधारित नहीं किया जाता, समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता।

डॉ. अंबेडकर ने देखा कि बुद्धिमान वर्ग द्वारा तोतों व दूसरे पक्षियों की प्रशिक्षण तकनीकें भारत में गधे, घोड़ों, हाथियों और बकरियों सभी पर लागू की जा रही है परंतु समाज का पिछड़ा वर्ग इस शिक्षा से वंचित था। इस प्रकार इस वर्ग को पशुओं से भी गिरा हुआ माना जाने लगा। डॉ. अंबेडकर ने कहा कि इसमें लगे व्यक्तियों को हटा देना चाहिए और अगर वे इस प्रक्रिया को रोकने के लिए तैयार नहीं होते तो उन्हें दंड देना चाहिए। डॉ. अंबेडकर का विश्वास था कि केवल शिक्षा ही एकता भाईचारा व राष्ट्र के लिए प्यार का सागर देती है ।

प्रायः संस्कृति और सभ्यता का विशाल भवन केवल शिक्षा के ही स्तंभों पर बना होता है और शिक्षा ही अकेली मानव का मानवीकरण करती है। किसी संगठन की पहली शर्त शिक्षा होती है। और सामाजिक बुराइयों से केवल संगठित होकर लड़ा जा सकता है। उन्होंने देखा कि समाज के पिछड़े वर्ग का मस्तिष्क और आत्मा दोनों ही शिक्षा से वंचित है और निरक्षरता के अंधकार के साथ उनका जीवन भी अंधकारमय है। इसलिए डॉ. अंबेडकर ने उनको एक नारा दिया– 'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो असमानता, संघर्ष आदि कदापि न होते। बुराइयां धार्मिक जानकारी की कमी के कारण मानी जाती है और वर्ण व्यवस्था तथा जाति भेद भगवान के उपहार स्वरूप शिक्षा की कमी के कारण मानी जाती है। मानव मूल्यों का शक्तिशाली साधन डॉ. अंबेडकर ने नारे षशिक्षित बनो" में निहित है।

शिक्षा से वंचित व्यक्तियों का संगठन हमेशा ही कमजोर होता है जो कभी भी किसी बात पर लड़ नहीं सकते। इस प्रकार अधिकारों के लिए लड़ना, इसके लिए संगठित होना, और एक मजबूत संगठन के लिए शिक्षित होना आवश्यक है ।

डॉ. अंबेडकर व शिक्षा का ढांचा :

डॉ. अंबेडकर समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा के बारे में बड़े चिंतित थे। सामाजिक और आर्थिक विकास शिक्षा पर ही आश्रित है। शिक्षा मानव समाज के नैतिक स्तर को भी निर्धारित करती है। देश में शिक्षा के गुणों पर सभ्यता, संस्कृति व प्रशासन प्रणाली टिकी होती है। डॉ. अंबेडकर यह मानते थे कि केवल शिक्षा की कमी के कारण ही समाज के कमजोर वर्ग की बुरी दशा है। जहां शिक्षा अधिकारों, कर्तव्यों, संगठन और आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है, वहां शिक्षा सभी के लिए सम्मान व अनिवार्य होनी चाहिए। डॉ. अंबेडकर का विचार था कि जब हवा व पानी आदि सभी के लिए आवश्यक है तो शिक्षा सीमित लोगों तक क्यों? यह भी सभी के लिए आवश्यक होनी चाहिए। डॉ. अंबेडकर मानते थे कि शिक्षा की अनिवार्यता से समाज का कमजोर तबका भी नौकरियों में आएगा और इससे उनका आर्थिक स्तर ऊपर उठ जाएगा। इस प्रकार के विकास से समाज से

भेदभाव एवं छुआछूत का अंत हो जाएगा। परंतु यहां डॉ. अंबेडकर ने स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन तभी हो सकेगा, जब शिक्षा का मानवीकरण कर दिया जायेगा।

मानवता के पर्यायवाची डॉ. अंबेडकर, दलित समाज के आहात, थके हुए तथा कमजोरों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन चुके थे वे हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। डॉ. अंबेडकर ने दलितों के लिए शिक्षा के माध्यम से विकास द्वार खोले। उन्होंने भारतीय संविधान में लिखा है कि प्रत्येक शिक्षा संस्था सब के लिए समान अवसर एवं सुविधा के लिए खुली होगी, और जो इसका उल्लंघन करेगा, उसे दण्ड दिया जाएगा। यह भी आवश्यक था कि 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक मिशाल है और यह जुर्म व पिछड़ेपन को दूर करेगी। शिक्षा अपने अच्छे सुधारों के बाद एक नैतिक समाज की स्थापना करेगी। डॉ. अंबेडकर सभी विषयों में नैतिक विषयों की वकालत करते थे। उनकी इच्छा शिक्षा को लोकतांत्रिक शिक्षा बनाना था।

डॉ. अंबेडकर के अनुसार शिक्षा नीति को जाति, धर्म आदि का अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि यह मानवता व राष्ट्रीयता पर आधारित होनी चाहिए। डॉ. अंबेडकर उन उच्च अधिकारियों को फटकारते थे, जो अपनी स्वयं की उच्चता के कारण समाज की कमजोर वर्ग की निरक्षरता के लिए उत्तरदायी थे अंबेडकर के अनुसार जब तक धर्म, जाति, वर्ग आदि का मानना खत्म नहीं होगा, तब तक शिक्षा राष्ट्रीय एकता के अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं की, सकेगी, और यह हमारे देश की उन्नति के लिए बड़ी बाधा होगी। आज हमारा समाज निरुद्धेश्य है क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली निरुद्धेश्य है। हमारा मस्तिष्क भाग्य, काम व आलस्य जैसी अवधारणों में कैद है।

डॉ. अंबेडकर यह बलपूर्वक कहते थे कि अंधविश्वासी बनाने वाली शिक्षा नहीं देनी चाहिए। 1925 में डॉ. अंबेडकर ने समाज के कमजोर वर्ग के लिए आयोजित कान्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि उनके निस्सहायः चेहरों को देख उनके दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। उन्हें अपने मानव अधिकार लेने का अधिकार है और उनको संगठित होकर निडरता से संघर्ष करने का संकेत दिया। डॉ. अंबेडकर के अनुसार व्यक्ति का केन्द्रिय बिन्दु शिक्षा है। डॉ. अंबेडकर साहेब की शिक्षा के विषय है– चरित्र, व्यवहार, संगठन, अनुभव, भावनाओं, व अभिव्यक्ति के लिए शिक्षा, न केवल पढ़ने व लिखने के लिए शिक्षा का सार सभा में उन्होंने घोषणा की कि श्हमारे स्वयं के लिए रोटी और पानी भगवान की पूजा से भी बढ़ कर कीमती हैं। सारी उदासी और मुश्किलें परेशानियों के कारण है, पिछले कर्मों के कारण नहीं इसलिए भाग्य से बचकर रहो और अपनी ताकत पर विश्वास रखो। उन्होंने संकेत किया कि तुम्हें तुम्हारी दोस्ती स्वयं खत्म करनी होगी किसी भगवान व आदमी पर निर्भर मत रहो। डॉ. अंबेडकर यह भी स्वीकार नहीं करते थे कि एक जीवन दूसरे जीव को खाता है और इस प्रकार एक आदमी दूसरे आदमी का दास है।

शिक्षा पहले राजाओं के दरबार में ही पलती थी, यह केवल मंत्रियों तक ही सीमित थी। यह न तो किसी की थी न ही किसी के लिए थी। यह चारित्रिक विकास करने के बजाए क्षुब्ध थी। आज की शिक्षा डॉ. अंबेडकर की नैतिक एवं बाल केन्द्रित शिक्षा से अलग है। उनकी शिक्षा में एक प्राकृतिक भाषा से अभिप्राय प्राकृतिक अखण्डता और सभी जगह समानता की धारणा की स्थापना करने का समर्थन था ।

डॉ. अंबेडकर व पाठ्यक्रम :

डॉ. अंबेडकर के अनुसार पाठ्यक्रम में केवल शिक्षण–अधिगम सुविधाएं ही प्रदान करनी चाहिए, बल्कि इसमें चरित्र व्यवहार, संगठन अनुभव, आत्मानुभूति तथा आत्मभिव्यक्ति की शिक्षा भी देनी चाहिए। पाठ्यक्रम की प्रकृति ऐसे तैयार करनी चाहिए कि यह विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता उत्पन्न कर सकें। विद्यार्थियों की शिक्षा में रोटी, कपड़ा व मकान की शिक्षा, भगवान की शिक्षा से ज्यादा महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए। डॉ. अंबेडकर व्यवसायिक शिक्षा को ज्यादा महत्त्व देते हैं। वे एक राष्ट्रीय भाषा के पक्ष में थे। राष्ट्रीय भाषा का विचार समाज में एकता व समानता स्थापित करता है। डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय भाषा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि अगर वे सभी एक दूसरे से इकट्ठे मिलकर रहना चाहते हैं और एक सुव्यवस्थत और मैत्रीपूर्ण संस्कृति का विकास करना चाहते हैं तो उन्हें साथ एक सम्मान भाषा हिन्दी को अपनाना चाहिए। इसका विकास करना चाहिए, सबको स्वीकारोग्य बनाना चाहिए। डॉ. अंबेडकर एक राष्ट्रभाषा राष्ट्रीयता के लिए महत्त्व बताते हुए कहते है– इकट्ठे और भाईचारे की मजबूत भावना से एक दूसरे से जुड़े हुए और इस एकत्व से अभिप्राय है राष्ट्रीयता डॉ. अंबेडकर ने यहां तक कहा कि एक भारतीय जो हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता, उसे

भारतीय नहीं पुकारा जाना चाहिए। डॉ. अंबेडकर विज्ञान, तकनीकी, तथा रोजगार से सम्बन्धित विषयों के पक्षधर थे। डॉ. अंबेडकर ने अपने शैक्षिक विचारों की मूर्त रूप देने के लिए 1945 में 'जन शिक्षा समाज' की स्थापना की। उन्होंने सिद्धार्थ महाविद्यालय बम्बई व मिलिन्द महाविद्यालय, औरंगाबाद में स्थापित किए।

डॉ. अंबेडकर व शिक्षण विधियां :

शिक्षण विधि के सम्बन्ध में डॉ. अंबेडकर प्रगतिवाद शिक्षा दर्शन के पक्षधर थे। डॉ. अंबेडकर अपनी पुस्तकों में जोहन डयूई के शैक्षिक विचारों से प्रभावित हुए। कक्षा को पढ़ाते हुए वे ड्युई विधि अपनाते थे। डॉ. अंबेडकर के शैक्षिक विचार दोनों ही विचारधाराओं का मिश्रण है। उनकी पढ़ाने की विधि बड़ी ही प्रभावी थी। सिंघनम महाविद्यालय के छात्र उन्हें अछूत जाति का जानकार उनकी कक्षा में कोई रूचि नहीं लेते थे। बाद में जैसे ही उनकी पढ़ाने की विधि की प्रशंसा होने लगी तो बहुत से छात्र अन्य महाविद्यालयों से भी उनकी कक्षा में आने लगे। डॉ. अंबेडकर के गहन अध्ययन कहीं से भी अभिव्यक्ति और उनके स्पष्ट विचार छात्रों को कक्षा में बांधे रखते थे। अपनी शिक्षण विधि के कारण डॉ. अंबेडकर बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। डॉ. अंबेडकर जी के विचारानुसार उस समय की परीक्षा प्रणाली भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन उन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, जो छात्र कक्षा में सीख रहा है। डॉ. अंबेडकर लिखित परीक्षा से ज्यादा महत्त्व मौखिक परीक्षा को एक अच्छी प्रणाली समझते थे।

डॉ. अंबेडकर, शिक्षक और शिष्य :

डॉ. अंबेडकर शिक्षक और शिष्य दोनों ही के लिए प्रेरणा स्त्रोत थे। उन्होंने पुस्तक 'बुद्ध और उसका धाम में शिक्षक एवं शिष्य के बीच सम्बन्धों की स्थापना की है। जब डॉ. अंबेडकर राजकीय लॉ कॉलेज बम्बई में एक अध्यापक व प्राचार्यों के रूप में कार्य कर रहे थे, तो आदर्शवाद के अनुसार उन्होंने स्वयं को एक आदर्श शिक्षक के रूप में बनाए रखा। उनका विचार था कि जाति–पाति में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को शिक्षा जैसा राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण काम नहीं सौंपना चाहिए। 2 अक्तूबर 1926 को 'अछूत छात्र सभा को सम्बोधित करते हुए डॉ. अंबेडकर ने कहा उन्हें सामाजिक कल्याण के लिए बड़े ही ध्यान से काम करना चाहिए क्योंकि समाज का भविष्य उन पर निर्भर करता है। उनके काम की प्रशंसास्वरूप महाविद्यालय की मासिक पत्रिका में लिखा गया था– डॉ. अंबेडकर के काम और ज्ञान के प्रति छात्र उनका सम्मान करते हैं। बम्बई विद्यापीठ में, कानून में सुधार के लिए प्रस्तुत बिल के उपर वाद–विवाद में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों तथा महाविद्यालय दोनों को एक दूसरे के सहयोग बनना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में एक दूसरे का सहयोग होने पर ज्यादा बल दिया।

डॉ. अंबेडकर तथा स्त्री शिक्षा:

डॉ. अंबेडकर ने भारतीय समाज की परंपराओं व जीवन मूल्यों की धारणा जो मनु द्वारा निर्धारित किये गये, आलोचना की है। क्योंकि स्त्री शिक्षा को नकारा गया। डॉ. अंबेडकर का कहना था कि जब तक समाज में स्त्री व पुरूष को समान रूप से शिक्षा नहीं दी जाती तब तक समानता की बात करना भी निरर्थक साबित होता रहेगा। डॉ. अंबेडकर ने विदेशों में लड़कियों को शिक्षित होकर आत्मनिर्भर देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए, परंतु वे अनिवार्य शिक्षा देने के पक्ष में थे। इसके लिए सन् 1848 में ज्योतिराव फूले ने सबसे पहले कदम उठाए थे जब उन्होंने महिलाओं व दलितों के लिए अलग स्कूल खोले थे। डॉ. अंबेडकर ने इस कड़ी को आगे बढ़ाया और संविधान में महिलाओं को समान अधिकार देकर उनके विकास में योगदान दिया।

डॉ. अंबेडकर और प्रौढ़ शिक्षा:

डॉ. अंबेडकर के अनुसार हम अपने समाज का विकास प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा कर सकते है। प्रौढ़ों को स्वास्थय, राजनीति, समाज, आर्थिक, शिक्षा से अवगत कराया जा सकता है। क्योंकि वे अपने स्कूल जाने की उम्र में स्कूल नहीं जा पाए। उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा का सहारा लिया जा सकता है। जिसके द्वारा समाज में व्याप्त बुराइयों से जन–जन को अवगत करवा कर खत्म किया जा सके।

प्राथमिक शिक्षाः

डॉ. अंबेडकर ने प्राथमिक शिक्षा पर बहुत बल दिया क्योंकि वे जानते थे कि प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा की कुंजी है। उन्होंने भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा मुफ्त तथा अनिवार्य देने की बात कही।

उच्च शिक्षाः

डॉ. अंबेडकर ने व्यक्ति की उच्च शिक्षा पर बहुत बल दिया, क्योंकि उच्च शिक्षा के ज्ञान से शोध करने की क्षमता को बल मिलता है। व्यक्ति की सोच मजबूत होती है। उनमें तर्क करने की शक्ति का जन्म होता है। विकास के कार्यों को करने के लिए मन लगता है। उच्च शिक्षा के द्वारा ही नई खोज की और ध्यान लगा सकते है। समाज के सभी व्यक्तियों को उच्च शिक्षा में कदम रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करके समाज कल्याण की ओर सोचना चाहिए।

व्यवसायिक शिक्षाः

शिक्षा का ढांचा अर्थपूर्ण होना चाहिए। कम शिक्षा प्राप्त करके धन कमाने के योग्य बन सके तथा अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। इस प्रकार अंबेडकर ने व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया। दलित समाज के पास न के बराबर साधन होने के कारण जीवन चक्र बिगड़ता रहता है। इस कारण उनमें धन का अभाव पाया जाता है। यदि धन का अभाव दूर करना है तो शिक्षा का व्यावसायिकरण करना होगा, ताकि दसवीं या बारहवीं पास करके व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ें हो सकें।

नैतिक शिक्षा :

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हरबर्ट की भांति अंबेडकर का विश्वास था कि शिक्षा के उद्देश्यों में नैतिक शिक्षा तथा चरित्र निर्माण एक महत्त्वपूर्ण उदेश्य है । आदर्श समाज स्थापना के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। नैतिक शिक्षा व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन मूल्यों व जीवन सिद्धान्तों से भटकने से रोकने के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है।

अनुशासन :

डॉ. अंबेडकर अनुशासन में विश्वास रखते थे परंतु इसके साथ ही वे छात्रों की आजादी को कड़े नियमों के द्वारा प्रतिबन्धित करने के पक्ष में भी नहीं थे। वे शारीरिक दण्ड के खिलाफ थे। उनका मानना था कि छात्रों को प्यार के द्वारा ही अनुशासन में रखा जा सकता है न कि उनके आत्म–सम्मान को चोट पहुंचा कर। वास्तविक अनुशासन जीवन की महत्त्वपूर्ण पूंजी है। जिसे थोपा नहीं जा सकता। अंबेडकर स्वयं अपने अध्यापक जॉन डयूई ओर एडविन केनन से प्रभावित थे और उनके जीवन मूल्यों को आदर्श मानकर उन्हें धारण किया। विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना के लिए आध्यापक को भी अनुशासन की भावना में रहना चाहिए और उनके आदर्श बनने की कोशिश करनी चाहिए।

डॉ. अंबेडकर व शिक्षा प्रसार, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षाः

डॉ. अंबेडकर प्रारंभ से ही दलितों की शिक्षा के पिछड़ेपन के प्रति जागरूक थे। 1924 में उन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य दलितों की शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, तथा पुस्तकालय खोलना था। उनकी आर्थिक दशा ठीक करने के लिए औद्योगिक तथा कृषि विद्यालय खोले। डॉ. अंबेडकर का विचार था कि अगर ज्यादा शिक्षा प्रसार होगा तो उन्नति के ज्यादा अवसर होंगे उन्होंने जून 1928 में दो छात्रावास आरंभ किए और दलितों की स्कूल शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से श्दलित वर्ग शिक्षा सभाश की स्थापना की। डॉ. अंबेडकर ने सन 1945 में श्जन शिक्षा सभाश की स्थापना की। 1946 में उन्होंने बम्बई में सिद्धार्थ महाविद्यालय आरंभ किया। एक अलग कॉलेज सिद्धार्थ कॉलेज फॉर आर्टस, साइंस, कामर्स एण्ड लॉ की भी स्थापना की।

डॉ. अंबेडकर ने दलितों की बुरी दशा के लिए शिक्षा को उत्तरदायी माना । जहां शिक्षा, अधिकार, कर्त्तव्य, संगठन तथा आत्म सम्मान की भावना को उत्पन्न करती है वहां पर भी आवश्यक है कि इसे एकता की

भावना को भी उत्पन्न करना चाहिए। अनिवार्य शिक्षा के कारण वे नौकरियां प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे, इस प्रकार उनका आर्थिक स्तर ऊपर उठेगा और समाज में उन्हें सम्मान मिलेगा तथा इससे भेदभाव व छुआछूत अपने आप ही खत्म हो जाएगी।

अंबेडकर का विचार था कि प्रत्येक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। विभिन्न वर्गों के बीच की खाई कम करने के लिए जो कि शिक्षा की कमी के कारण है, शिक्षा मुफ्त एवं अनिवार्य होनी चाहिए।

निष्कर्ष:

डॉ. अंबेडकर ने प्रतिकूल परिस्थितियों और अनेक विरोधों के बावजूद भारत के राष्ट्रीय जीवन में अपना अलग स्थान बनाया और आधुनिक भारत के निर्माण में निर्णायक योगदान दिया। अंबेडकर उच्च कोटि के राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने अपने समय की प्रमुख राजनीतिक समस्याओं का तो विश्लेषण किया ही साथ ही राजनीति दर्शन की कुछ आधारभूत समस्याओं जैसे जाति–प्रथा, नारी उत्थान में बाधक तत्व, मजदूर वर्ग के हित, अधिकार, शासन–प्रणाली, शक्ति पृथकरण, पंथ निरपेक्षता और संविधानवाद पर भी अपने विचार प्रकट किये हैं। परंतु उनका मानना था कि जन जागृति और विकास तथा एकत्व के लिए समुचित शिक्षा प्रणाली का होना अति आवश्यक है। उनकी दृष्टि में आदर्श समाज वही है, जिसमें शिक्षा का सम्मान है अर्थात जो समाज उन्नति हेतु शिक्षा को ही सर्वोपरि मानता है।

डॉ. अंबेडकर के अनुसार समाज और राष्ट्र का मूल्यांकन केवल शिक्षा के स्तर के आधार पर किया जा सकता है। उनके अनुसार प्रशासनिक भागीदारी शिक्षा से ही संभव हो सकती है। श्रमिकों में चेतना शिक्षा के माध्यम से स्थापित की जा सकती है। महिला सशक्तिकरण, अधिकारों की सुरक्षा भेदभाव का अंत, आपसी सहयोग एवं समरसता शिक्षा के माध्यम से स्थापित की जा सकती है। अंततः सार रूप में कहा जा सकता है कि डॉ. अंबेडकर ने जन जागृति में शिक्षा की जो अलख जोत जगाई वह आज भी प्रासंगिक और सार्थक है।

संदर्भ :

1. बाबा साहेब डॉ. अंबेडकरः सम्पूर्ण वाङःमय खण्ड–1, सम्पादित डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, 1994.
2. प. जवाहर लाल नेहरू, लोकसभा डिबेट्स, 6 दिसम्बर 1956, दिल्ली।
3. बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर, सम्पूर्ण वाङःमय खण्ड–2, सम्पादित डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, 1994.
4. वीरेन्द्र सिंह, यादव, बीसवीं सदी के महानायक, बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर, ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2011.
5. विश्व प्रकाश गुप्त, मोहिनी गुप्ता, भीमराव अंबेडकर, व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1997.
6. नागेश्वर राव, गोपाल कृष्ण शर्मा, डॉ. अंबेडकर का चिंतन एवं पुनर्जागरण की आवश्यकता, डॉ. अंबेडकर पीठ, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, 2008.
7. औंकार नाथ मिश्र, ममता मणि त्रिपाठी, सर्वजन के प्रेरणा स्त्रोत, डॉ. भीमराव अंबेडकर, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011.
8. प्रदीप माथुर, महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर, इशिका पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 2010.
9. डी० सी० अहीर, डॉ. अंबेडकर और भारतीय संविधान, बुद्ध विहार, लखनऊ 1975.
10. जिया लाल आर्य, दलित कहां जाए, संस्थान प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002.
11. ब्रीट्रीस एवालास, गरीब बच्चों की शिक्षा, ग्रंथ शिल्पी, नई दिल्ली, 1997.
12. धनजंय कीर, डॉ. अंबेडकर लाइफ एण्ड मिशन, पापुलर पब्लिकेशन, मुम्बई, 2005.
13. जयप्रकाश कर्दम, इक्कीसवीं सदी में दलित आंदोलन साहित्य एवं समाज–चिंतन, पंकज पुस्तक मन्दिर, दिल्ली, 2005.
14. विश्व प्रकाश गुप्ता, भीवराव अंबेडकर व्यक्तित्व और विचार, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1998.
15. पालीवाल, डॉ. अंबेडकर और समाज व्यवस्था, किताब घर, नई दिल्ली, 1996
16. कुसुम यदुलाल, दलित शिक्षा का परिदृश्य, कनिष्का डिस्ट्रब्यूटर, नई दिल्ली, 2005.

17. एम. आर. विद्रोही, दलित दस्तावेज, सम्यक् प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004.
18. बी.एल. शर्मा, टीचिंग आफ अंबेडकर, रावत, पब्लिकेशन, नई दिल्ली, जयपुर, 1998.